



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

योगेन्द्र कुमार वैश्य (आधार नं 0-534265690921)  
वी-157 मेहदीरी कालोनी नियर दुर्गा पूजा पार्क तेलियरगंज इलाहाबाद (उप्रो) का हूँ जिन्हें  
आगे व्यवस्थापक / न्यासीगण कहा गया है व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र  
में कार्य करने की है जिसके लिये व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11000/- रुपये के एकमात्र स्वामी व  
अधिकारी हैं तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया  
है के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों  
ने उक्त राशि अंकन 11000/- रुपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है  
कि न्यासीगण रखेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।  
व्यवस्थापकों ने उक्त को ट्रस्ट का प्रथम होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन  
कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकाशर करते हैं और घोषणा करते हैं कि—

1. यह कि ट्रस्ट का नाम— यथार्थ सामाजिक कल्याण एवं सेवा संस्थान

YATHARTH SAMAJIK KALYAN AWM SEVA SANSTHAN होगा।

*Yogendra Kumar*

President  
*[Signature]*  
Treasurer  
*[Signature]*

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

₹. 100



Rs. 100

ONE

HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27 MAR 2017

318237

इलाहाबाद

(2)

2. || यह कि उक्त का पंजीकृत कार्यालय वी-157 मेंहदौरी कालोनी नियर दुर्गा पूजा पार्क तेलियरगंज इलाहाबाद (उ0प्र0) होगा परन्तु द्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त द्रस्टे का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते हैं।
3. || कम्प्यूटर कोविंग सेन्टर की स्थापना करना व संचालन करना।
4. || बेरोजगार, जरूरतमन्द व बेसहारा स्त्रियों के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करना।
5. || लड़के व लड़कियों के लिये अलग-अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।
6. || प्राथमिक से उच्च स्तर तक स्कूल कालेज, तकनीकी व कार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना, सभी प्रकार के ग्रेजुएशन व पोर्ट ग्रेजुएशन, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन व व्यावसायिक कोर्स हेतु कालेजों की स्थापना करना व संचालन करना।
7. || नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल ;हिन्दी व इंगिलिश नीडियम व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।
8. || शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

Yogendra Kumar

Yogendra Kumar, M.A., M.Com, C.A.,  
President

M.P.

President  
Treasurer



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17 MAR 2012

DN 318238

(3)

9. शैक्षिक किताबों, पेपर, साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि का प्रकाशन करना, लाइब्रेरी, शीडिंग रूम तथा हास्टल/छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
10. सभी प्रकार की फिल्में, टेली फिल्म आदि का निर्माण करना। तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण देना तथा इससे सम्बन्धित अन्य क्रियाकलाप करना।
11. धर्मशाला, आश्रम, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, आध्यात्मिक, साधना एवं योग केन्द्र तथा सभी के लिये धार्मिक स्थल बनवाना व उनकी देखभाल करना।
12. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांगों तथा समाज के सभी वर्गों के ज़रूरतमंद छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना ताकि ज़रूरतमंद छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता देना।

*Yogendra Kumar*

Yogendra Kumar  
President  
*Yogendra Kumar*

*NV*  
Treasurer



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27 MAR 2017

DN 318239

(4)

13. दान दाताओं, विदेशी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं व सरकारी संस्थाओं द्वारा सरकारी सहायता, ऋण व अन्य सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नोडल संस्था का बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेंचाइजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस उपलब्ध कराना।
14. समय—समय पर विभिन्न समस्याओं पर जनमानस के विचारों को जानने के लिए प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उस पर सर्वे कराना।
15. समाज के प्रत्येक वर्ग में एहस एवं गम्भीर वीमारियों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना।
16. गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफारिश करना, जल बचाव सम्बन्धित कार्य करना तथा आम पब्लिक को जल ही जीवन है सम्बन्धित जानकारियाँ देना।

*Yogendra Kumar*

Yogendra Kumar  
President

409  
Treasurer

17. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भवन निर्माण कराना तथा अन्य निर्माण कार्य आधुनिक तकनीक द्वारा करना।
18. अस्पताल, औषधालय, डायग्नोस्टिक सेन्टर, स्कैनिंग सेन्टर, पाली वलीनिक, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।
19. प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों एवं गांवों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़ें।
20. निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।
21. स्कूल व कालेज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं एहस सोग के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।
22. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय-विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।
23. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि क्रय करना ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण करना।
24. ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना व दान की रसीद देना।
25. वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।
26. यह कि इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा जगत के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/वर्कशाप आयोजित करना।
27. यह कि धर्मशाला, एवं मंदिर का निर्माण करना तथा शादी विवाह हेतु उधित स्थान की व्यवस्था करना जिससे समाज के गरीब वर्ग के लोगों को लाभ हो सके।
28. महिलाओं, बालक, बालिकाओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक व चारित्रिक विकास करना। प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा/प्रशिक्षण के लिए विद्यालय की स्थापना करना तथा उसका संचालन करना।

*Yogendra Kumar*

Yogendra Kumar  
President

1/1  
Treasurer

29. ऊसर एवं बंजर भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने हेतु कार्य करना तथा कृषिकों को आधुनिक तकनीक द्वारा खेती करने की जानकारी/प्रशिक्षण/नये यंत्रों की जानकारी देना तथा भूमि सुधार औषधि एवं सगन्धीय पौधों की खेती करना, नैडम एवं चर्मी कम्पोस्ट तथा जैविक कृषि हेतु किसानों को प्रशिक्षण देना ।
30. सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन करना, सांस्कृतिक गोष्ठी, सेमिनार, जनजातीय लोक कला एवं विनिदृष्टि कला हेतु विकास करना, संगीत कला केन्द्र/संगीत महाविद्यालयों की स्थापना करना, वाद्य यंत्रों का रख रखाव, लुष्ट हो रही संस्कृति को उजागर करना, अनुसंधान, प्रोत्साहन विषयक संगोष्ठी, जन्म सताब्दी समारोहों का आयोजन करना तथा विभिन्न प्रकार की/विभिन्न विधाओं में संगीत प्रतियोगितायें आयोजित करना ।
31. युवाओं के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन तथा एकता की मावना पैदा करने हेतु क्रीड़ा/खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु खेल प्रतियोगिताये तथा युवाओं नेतृत्व गुण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना ।
32. द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनपद स्तर, प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर द्रस्ट की शाखा व कर्त्त्यालयों की स्थापना करना ।

#### कार्यक्षेत्र —

1. यह कि न्यास/द्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा ।

#### द्रस्ट द्वारा संस्थाओं का संचालन

- (क) द्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं की सम्पत्ति चल व अचल द्रस्ट की सम्पत्ति समझी जायेगी। जिसे द्रस्ट किसी भी उपयोग में ला सकेगा। द्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को द्रस्ट के हित में बंधक रखा जा सकता है। द्रस्ट/संस्था की ओर से आवश्यक शपथ—पत्र/प्रति शपथ—पत्र या विलय पर द्रस्ट की सहमति से द्रस्ट की ओर से अध्यक्ष व सचिव हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे।
- (ख) द्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं का संचालन करेगा। संस्थाओं के संचालन के लिए दान, चन्दा और अनुदान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा।
- (ग) द्रस्ट द्वारा संचालित प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रबन्धकारिणी समिति होगी जो कि संस्था के संचालन के लिए आवश्यक सम्बद्धता/मान्यता अथारिटीज उत्तर प्रदेश

*Yogendra Kumar*



*Yogendra Kumar, Member, Samiti, D.R.S.T.*

*N.P.*  
President

*Yogendra Kumar  
Treasurer*

सरकार/भारत सरकार अन्य सम्बन्धित संस्थाओं के नियमों के अनुकूल एक प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करेगा।

- (घ) ट्रस्ट अन्य किसी भी समिति/ट्रस्ट की सहमति से उसके परिसम्पत्ति एवं दायित्वों सहित उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों को अपने में विलीन कर सकेगा और समविलन की तिथि से उस समिति का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और उसके अधिकार/सम्पत्ति परिसम्पत्ति एवं दायित्व ट्रस्ट के निहित समझे जायेंगे।

#### ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं नियुक्ति –

1. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण थाहें जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।
2. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझें, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।
3. यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टियों ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन करने के लिये नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा। बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
4. यह कि श्री योगेन्द्र कुमार वैश्य (आधार नं०-534265690921) पुत्र श्री छेदी लाल वैश्य निवासी बी-157 मेहदौरी कालोनी नियर दुर्गा पूजा पार्क तेलियरगंज इलाहाबाद (उ०प्र०) उपरोक्त ट्रस्ट के सचिव व श्रीमती नृपुर गुप्ता (आधार नं०-312341847666) पत्नी श्री योगेन्द्र कुमार वैश्य निवासी बी-157 मेहदौरी कालोनी नियर दुर्गा पूजा पार्क तेलियरगंज इलाहाबाद (उ०प्र०) उपरोक्त ट्रस्ट की अध्यक्ष होंगी। अन्य ट्रस्टी सदस्यों को पद एवं अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव आपसी सहमति से आवंटित करेंगे—

*Yogendra Kumar*  


*Nutul*  
 President

*Ji*  
 Treasurer

यह कि द्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा तथा ये व्यवस्थापक द्रस्टी कहलायेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव का कभी चुनाव नहीं होगा और ना ही कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिये कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त पदाधिकारी अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग—पत्र दे सकते हैं तथा उनका रित पद उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी को ही मिलेगा। यदि उक्त पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी अपने पद से त्याग—पत्र देता है तो व्यवस्थापकों को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति ख्वय द्रस्ट की सदस्यता से त्याग—पत्र देता है और उसे सचिव, अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जायेगा। ऐसी दशा में त्याग—पत्र देने वाले सदस्य का समस्त अधिकार द्रस्ट से समाप्त हो जायेगा।

#### 1. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होंगे—

**अध्यक्ष—** द्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, द्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व द्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना।

**उपाध्यक्ष—** अध्यक्ष का सहयोग करना एवं उनकी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना।

**सचिव—** द्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना, द्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना, सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना, सभी बैठकों की कार्यवाही को पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना, अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना, द्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना, द्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना। द्रस्ट के लिये द्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

**उपसचिव—** सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

**कोषाध्यक्ष—** द्रस्ट की समस्त आय—व्यय का हिसाब रखना व उसको आडिट कराना। द्रस्ट का समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हो उनको अनुमोदित कर भुगतान

*Yogendra Kumar*



N.M.  
President

409  
Treasurer

- कराना। द्रस्ट के खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा या अध्यक्ष व सचिव में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।
2. यह कि द्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे— न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन-देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी तथा अध्यक्ष एवं सचिव अपना आदेश प्रदान करेंगे। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा।
  3. यह कि अध्यक्ष व सचिव समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं व उनमें से एक या अधिक द्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं द्रस्टीगण ऐसी प्रबन्धक समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार द्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः द्रस्ट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष होंगे तथा द्रस्टीगण की आपसी सहमति से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।
  4. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को द्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा द्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।
  5. यह कि द्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी द्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य द्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर द्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और द्रस्ट की बैठक साधारणतः द्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु द्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ द्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।
  6. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय-समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं, फर्म, बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को द्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रख कर

*Yogendra Kumar*



N.P.W  
President

*Yogendra Kumar*  
Treasurer

द्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उधार/ऋण /बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा द्रस्ट के लाभ के लिये द्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। अध्यक्ष व सचिव को द्रस्ट के उद्देश्यों के लिये द्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराया/लीज पर देने का अधिकार होगा व द्रस्ट के उद्देश्यों के लिये द्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो द्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा द्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने वाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या क्रय करने या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने, क्रय करने, विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु द्रस्टीगण को द्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा।
8. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त द्रस्टियों की संख्या का 2/3 अथवा किन्हीं तीन द्रस्टियों का जो भी अधिक हो, होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त द्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती। द्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।
9. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को द्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त व्यवस्थापकों के मृत्यु के बाद उनकी संतान अथवा कानूनी वारिस पद, पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।
10. यह कि सभी सम्बन्धित द्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल द्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य

*Yogendra Kumar*

*M.P.W.*  
President

*Yogendra Kumar*

*Yogendra  
Treasurer*

ट्रस्टीगण, बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियों आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु वह उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे।

11. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता, व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हों में खोल और रख सकते हैं। उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्ट्स—खातों व अन्य सभी बैंकिंग खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा, सचिव अकेले द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।
12. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा। अध्यक्ष एवं सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्ये क्रमशः उक्त अध्यक्ष एवं सचिव होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।
13. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट का प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाबदा हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय-व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।
15. यह कि न्यासी/ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके। ट्रस्टी सदस्यों के मरणोंपरान्त उस वसीयत के अनुसार ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव उक्त संस्थापक ट्रस्टी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ट्रस्ट पर ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की

yogendra Kumar



जनकी एवं विवेक का नाम विवेक का नाम

N.P.  
President

109  
Treasurer

उत्तराधिकारी का नामांकन कराया जायेगा। जो कि उक्त न्यासी/द्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/द्रस्टी के स्थान पर न्यासी/द्रस्टी तथा नवनियुक्त द्रस्टी को एतदं द्वारा नियुक्त द्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

16. यह कि द्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी क्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और द्रस्टीगण उसमें हुई किसी ढानि के जिम्मेदार नहीं होंगे।
17. यह कि द्रस्ट की डीड द्रस्ट के सचिव द्वारा पंजीकृत करायी जायेगी।
18. यह कि एतद्वारा संस्थापित किया गया द्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से द्रस्टीगण उक्त द्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो द्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर द्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् द्रस्ट का विघटन कर सकते हैं।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ने अपने हस्ताक्षर किये।

Yogendra Kumar



Yogendra Kumar

N.P.  
President

P.T.  
Treasurer

हस्ताक्षर सचिव श्री योगेन्द्र कुमार वैश्य पुत्र श्री छेदी लाल वैश्य निवासी  
बी-157 मेहदौरी कालोनी नियर दुर्गा पूजा पार्क तेलियरगंज इलाहाबाद  
(आधार नं०-534265690821)



*yogendra Kumar*

हस्ताक्षर गवाह श्री अनुग्रह नारायण सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह निवासी म्योहर सराई  
अकिल कौशाम्बी उत्तर प्रदेश (आधार नं०-286545877356)



*A.N.Singh*

*अनुग्रह नारायण  
राजवीर सिंह  
म्योहर सराई*



हस्ताक्षर गवाह श्री अभय कुमार पुत्र श्री हरिशंकर राम निवासी 84 बी/३ आर. मधुवन  
बिहार कालोनी, उमरपुर नीवा इलाहाबाद (आधार नं०-462112134462)



*अभय कुमार  
हरिशंकर राम  
84 बी/३ आर. मधुवन*



मसविदाकर्ता

पीयूषपाणि शुक्ल पुत्र श्री हृदयांचल शुक्ल निवासी-जोधवल  
तेलियरगंज इलाहाबाद

दिनांक

*जून २०१४*

*Nut  
President*

*५०१  
Treasurer*

मुद्रा 2300 रुपये ३१-३-१७ द्वारा  
कालीन निवास (गोपनीय) योगेन्द्र कुमार वैश्य संस्कार  
मुद्रा नं १२६ तिथि ३१ जारी २०१७ रुपये २००  
विवर निम्न पॉर्टली दरावा गोपनीय राजनीति विवरण

न्यासी

Registration No.: 131

Year: 2,017

Book No.: 4

0101 योगेन्द्र कुमार वैश्य: *Yogen Dc. Karm. V.*  
छोटी ताल वैश्य  
घी-१५७ मेहदीरी कालीनी निवार दुगां पुजा-पांक लेलियरगञ्ज इलाहा० ३



Yogendra Kumar Karm. V.  
Nuk  
President

Yogendra  
Treasurer

संकेत संख्या ३१ नार्थ २०१७ तक वृत्तिशाली काम

निवासी अधिकारी कालोनी इलाहाबाद उपनिवास उपनिवास

वाल पत्र

11,000.00

220.00

80

300.00

28

वाल की तरीफ़

जीव गिर्जा

नकल व पाति शुल्क

बीम

पृष्ठों की संख्या

श्री

योगेन्द्र कुमार देश्य

*Yogendra Kumar*

पुत्र श्री

छेदी लाल देश्य

वालसाय

निवासी स्थानी वी-१५७ मैडदीरी कालोनी नियर दुर्गा पूजा पार्क लेलियरगंज इलाहा० आ०स०  
अस्थासी पहा  
921

ने यह लेपपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/4/2017 समय 1:41PM<sup>1</sup>  
करे निष्पत्ति हेतु पेत्र किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*Abhishek*

हसनैन अहमद (प्र०)  
उप निवन्धक (प्रथम)

इलाहाबाद

3/4/2017

निष्पादन लेपपत्र बाबू शुनने व समझने मनमत  
न्यासी

श्री योगेन्द्र कुमार देश्य  
पुत्र श्री छेदी लाल देश्य  
पेशा

निवासी वी-१५७ मैडदीरी कालोनी नियर दुर्गा पूजा  
पार्क लेलियरगंज इलाहा० आ०स० 534265690



ने निष्पादन स्वीकार किया।

निवासी पहान  
अनुग्रह नारायण सिंह  
राजवीर सिंह  
A-११०१११



पेशा

निवासी म्योहर शराई अकिल कीशानी आ०स०

व आमय कुमार  
हरिशकर राम



पेशा

निवासी 84वी० आर मधुबन विहार कालोनी उमरपुर नीया इला०

ने को।

प्रत्याशतः यह साथियों के निवास बंगटे निष्पत्ति किये गये हैं।

*N.M.*  
President

*Yogendra Kumar*  
Treasurer

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*Abhishek*  
हसनैन अहमद (प्र०)  
उप निवन्धक (प्रथम)  
इलाहाबाद

971101 000000 000000

पुस्तक 153 अवधि 31 अर्ध 20 ग्रन्थ कुक्षिका

ग्रन्थ कुक्षिका वीरामी 2010 अवधि

ग्रन्थ

Registration No.:

131

Year: 2017

Book No.: 4

W1 अनुग्रह नारायण सिंह

राजवीर सिंह

म्होटर सराई ज़किल कौशङ्करी आ०८० 286545877356

A. N. Singh



W2 अभय कुमार

हरिशंकर राम

84घी/३ आर मधुवन बिहार कालोनी उमरपुर नीदा इला० आ०८० 4621121

Abhay Kumar



ग्रन्थ कुक्षिका वीरामी 2010 अवधि

N. S.  
President

Y. K.  
Treasurer